

01/12/15

समाहरणालय मधेपुरा

(जिला विकाश शाखा)

:- आदेश :-

मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगर परिषद् मधेपुरा क्षेत्र अन्तर्गत नाला / पार्क मद के लिए दिनांक 17.08.2015 को आयोजित जिला स्तरीय संचालन समिति, मधेपुरा द्वारा चयनित योजनाओं में से निम्नलिखित योजनाओं का प्राकलन कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा के द्वारा तकनीकी स्वीकृत्योपरांत समर्पित किया गया है।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 3458 दिनांक 21.06.2011 में निहित निदेश के आलोक में हर परियोजना के लिए लागत का चार प्रतिशत (4%) ही सेवा शुल्क (Centage Charge) दिया जाना है। सेवा शुल्क का प्रावधान कार्य कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा 4% किया गया है। निम्न विवरणी कॉलम 5 के अनुरूप विभिन्न योजनाओं को अलग - अलग प्रशासनिक स्वीकृति कुल मो0 45,80,500 पैतालीस लाख अस्सी हजार पाँच सौ रूपये) पर दी जाती है। साथ ही सभी योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा को कार्यकारी एजेंन्सी नियुक्त किया जाता है। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणी कॉलम 6 के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति का 60 प्रतिशत राशि यथा कुल राशि 27,48,300 मात्र एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से विमुक्त किया जाता है।

नगर पंचायत मुस्लीगंज

यो0 सं0 / वर्ष	मद	योजना का नाम	प्राकलित राशि (रू0 में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रू0 में)	विमुक्त राशि (प्रशासनिक स्वीकृति का 60 प्रतिशत)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	02	03	04	05	06	07
03/ 15-16	सामुदायिक भवन	गौतम शारदा पुस्तकालय परिसर में एक कमरे का सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	8,21,800	8,21,800	4,93,080	तीन माह
04/ 15-16	सड़क	सत्संग भवन मुख्य द्वार से सीधे पूरब अरविन्द लाल के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य। लंबाई 800 फीट चौड़ाई 10 फीट मोटाई 6 इंच	15,18,700	15,18,700	9,11,220	तीन माह
05/ 15-16	सड़क	वार्ड नम्बर 02 में श्री प्रकाश साह गौशाला चौक के घर से कमलेश्वरी ऋषिदेव के घर तक पी0 सी0 सी0 निर्माण कार्य। लंबाई 700 फीट	16,66,200	16,66,200	9,99,720	तीन माह
06/ 15-16	सड़क	वार्ड नम्बर 08 में हरिहर भगत के घर से पूयना पोस्ट ऑफिस तक पी0 सी0 सी0 निर्माण कार्य। लंबाई 600 फीट	5,73,800	5,73,800	3,44,280	तीन माह
कुल राशि			45,80,500	45,80,500	27,48,300	

योजना कार्यान्वयन की शर्त :-

- संबंधित कार्यकारी एजेंन्सी को मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की मार्गदर्शिका एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार उक्त सभी योजना का कार्यान्वयन प्राकलन में विनिष्ठियों के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के अन्दर पुरा करना होगा।
- निर्माण प्रकृति की इस योजना का कार्यान्वयन लोक निर्माण संहिता (पी0 डब्लू0 डी0 कोड) के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाएगा। योजना के तहत सामग्रियों / सेवा के क्रय तथा अधिप्राप्ति के मामले में बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन होगा। कार्यकारी एजेंन्सी आदेश प्राप्ति के पश्चात् अविलंब निविदा प्रकाशन, निविदा निष्पादन, एकरारनामा कर निर्धारित समय के अन्दर कार्य पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

03. इन योजनाओं के अन्तर्गत बनायी जानेवाली योजना में गुणवत्ता का ह्रास किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इसके लिए जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा के संबंधित कनीय / सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे।
04. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी योजना का प्राकलन एवं प्राकलन की संक्षिप्त विवरणी एक पृष्ठ में मुद्रित कराकर कार्यस्थल पर रखना सुनिश्चित करेंगे। इसमें योजना का नाम, प्रशासनिक स्वीकृति की राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि, योजना पूर्ण करने की तिथि, योजना में लगने वाले श्रम एवं सामग्री की मात्रा / लागत अंकित रहना चाहिए।
05. योजना प्रारंभ करने से पहले निर्माण के दौरान एवं योजना पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफी / विडियोग्राफी निश्चित रूप से कराई जाय एवं फोटोग्राफी की एक प्रति संबंधित योजना अभिलेख में रखी जाय एवं उसकी एक प्रति प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, मधेपुरा को भी भेजी जाए।
06. योजना स्थल पर निरीक्षण पंजी रखना अनिवार्य होगा, जिसमें समय - समय पर निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी।
07. योजना में स्थानीय मजदूर से ही कार्य कराया जाएगा एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान निश्चित रूप से हो तथा भुगतान की गई मजदूरी की प्रविष्टि उनके पारिवारिक पंजीयन कार्ड में निश्चित रूप से की जाय।
08. कार्य करने के पूर्व कार्यकारी एजेन्सी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि विगत पाँच वर्षों में इस योजना में कोई कार्य नहीं हुआ है। साथ ही किसी अन्य मद से योजना स्वीकृति अथवा निर्माणाधीन नहीं है।
09. योजना के प्राकलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर योजना के कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यकारी एजेन्सी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
10. योजना स्थल पर योजना का साईन बोर्ड, जिसमें योजना का नाम, योजना संख्या / वर्ष, प्राकलित राशि, संवेदक का नाम, कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनीय अभियंता का नाम, मजदूरी दर एवं योजना पूर्ण कराने की तारीख स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा।
11. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा / नगर पंचायत मुरलीगंज उक्त सभी योजना का User Agency होंगे, जो इस आशय का अंडर टेकिंग देंगे कि " योजना के रख - रखाव आदि पर भविष्य में होने वाले सभी प्रकार के व्यय की व्यवस्था करेंगे "। कार्यकारी एजेन्सी योजना पूर्ण होने पर विधिवत् User Agency को हस्तगत करावेंगे।
12. जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा के पदनाम से रु० 27,48,300 /- रु० (सत्ताईस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ रूपये) मात्र एकाउन्ट पेची चेक उल्लिखित मद में उपलब्ध राशि में तैयार कर उन्हें हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

3/0
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक...193.../वि०, मधेपुरा दिनांक...01/12/2015

प्रतिलिपि:- जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त प्राकलन की एक - एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। एवं निदेश है कि संबंधित योजना के अंचल के अंचल अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही योजना का कार्यान्वयन आरंभ करेंगे।

नगर पंचायत मुरलीगंज

प्रतिलिपि:- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, डूडा, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा